

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर

(जिला- गोरखपुर, उ०प्र०)

संख्यांक/निरीक्षण/ 5235-36/2018-19

तारीख 15/06/2018

प्रबन्धक,

प्रिशा इन्टरनेशनल स्कूल,
सोनौली रोड, (मानीराम) गोरखपुर।

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 24-07-2017के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राजात/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं प्रिशा इन्टरनेशनल स्कूल, सोनौली रोड, (मानीराम) गोरखपुर को तारीख 01-07-2017 से तारीख 30-06-2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री-प्राइमरी, प्राइमरी एवं जू०हा०स्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाएँ तथा एक से आठ तक के परिसरों)-के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की समूचना देता हूँ।

उपरोक्त, मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर बर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सोसाइटी/विद्यालय किसी कंपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

- (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।


Principal


Prisha International School
NH-29, Maniram, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.- 2132214
School Code No.- 70548





Manager

Prisha International School
NH-29, Maniram, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.- 2132214
School Code No.- 70548

- (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताये नहीं है, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7-विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यक्रमों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8-विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।
- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल- 825600 वर्गफीट
 - कुल निर्मित क्षेत्र - 39720 वर्गफीट
 - क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल - 785880 वर्गफीट उपलब्ध है।
 - कक्षाओं की संख्या -10 उपलब्ध है।
 - प्राध्यापक-सह- कार्यालय-सह- भंडागार के लिए कक्ष-उपलब्ध है।
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय -उपलब्ध है।
 - पेयजल सुविधा -उपलब्ध है
 - मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई-उपलब्ध
 - वाधारहित पहुँच -उपलब्ध है।
 - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता -उपलब्ध है।
- 9-विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
- 10-विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11-विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12-स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
- 13-विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
- 14-आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड C/484/2018 है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का प्रयोग करें।
- 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सत्त अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जायें।
- 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।


Principal
Prisha International School
NH-29, Manham, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.-2132214
School Code No.- 70548


Manager
Prisha International School
NH-29, Manham, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.-2132214
School Code No.- 70548

17-शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

18-जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

19-मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते हैं अथवा कोई तथ्यगोपन पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण-पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाएँ संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण-पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(बी0एन0सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर 15/06/2018

पृ0सं0-संख्याक/निरीक्षण/


/2018-19 तददिनांक

प्रतिलिपि-सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) गोरखपुर मण्डल गोरखपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर


Principal

Prisha International School
NH-29, Maniram, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.-2132214
School Code No.- 70548


Manager

Prisha International School
NH-29, Maniram, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.-2132214
School Code No.- 70548

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी-गोरखपुर

पत्रांक/मान्यता/ 6258 /2020-21 दिनांक:- 02 सितम्बर, 2020

प्रबन्धक,

प्रिशा इन्टरनेशनल स्कूल

सोनौली रोड, (मानीराम) गोरखपुर।

कृपया अपने पत्र दिनांक 26.08.2020 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, उक्त के संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि शासनादेश सं0-419/79-6-2013-18 (20)/91 शिक्षा अनुभाग-08 दिनांक 08 मई 2013 के अनुपालन में सूच्य है कि मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो 03 वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा, की विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि मान्यता आदेश के बिन्दु 13 तथा बिन्दु 17 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित किया जाय।

कृपया उक्तवत् अवगत होने का कष्ट करें।

(बीएन0सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोरखपुर

Principal

Prisha International School
NH-29, Maniram, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.- 2132214
School Code No.- 70548


Manager

Prisha International School
NH-29, Maniram, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.- 2132214
School Code No.- 70548

Tuesday, 01 September, 2020



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय
जनक शिक्षा, विद्या भवन, विशालपुर, बलरामपुर - 226 007
www.upsefa.com ई-मेल: upsefaop@gmail.com फ़ोन: 0522-4024440, 2780304, 2781128



प्रेषक,
राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में
श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शांती भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: ए०प०नि०/ 5654 /2021-22/लखनऊ

दिनांक: 8 मार्च, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ

कृपया अग्रगत करना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कर प्रेषित करें।"

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वार्षिक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बालिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनवादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के दि०-15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्रावधानों के दृष्टिगत औपम्यिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के पालन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रावधान नहीं है। आगामी स्तर से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संघालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के दृष्टिगत/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान स्तर में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-संक्षेप

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पुष्टांक: ए०प०नि०/ /2021-22/लखनऊ/तद्दिनांक
प्रतिनिधि

- जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संघालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
- श्री सबा अख्तर, बरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइबर-एफ)
- जिला बालिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

Principal
Prisha International School
NH-29, Maniram, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.-2132214
School Code No.-70548

Manager
Prisha International School
NH-29, Maniram, Gorakhpur-273007
(Affiliated to CBSE, DELHI)
Affiliation No.-2132214
School Code No.-70548